न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 197/2019 निर्णय दिनांक :– 13.3.20

उनवान

1. बिन्टू कवर राठौड पत्नी श्री स्व0 पृथ्वीसिंह
2. भरत सिंह पुत्र श्री स्वं पृथ्वीसिंह
3. शालिनी राजावत पुत्री श्री स्वं पृथ्वीसिंह जाति राजपुत समस्त निवासी चंदलाई त0 चाकसू जि0 जयपुर राज0

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वादपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि हमारी पैतृक सम्पति की भूमि खाता संख्या नया 487 पुराना 401 के खंसरा नम्बर 4140 रकबा 0.06 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 सम्पूर्ण व खाता सं0 नया 693 पुराना 618 खसरा नं0 2476 रकबा 2.28 , खसरा नं0 2477 रकबा 0.25 खसरा नं0 4138 / 6463

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रकबा 0.01, खसरा नं0 4141 रकबा 0.05 खसरा 4146/6465 रकबा 0.01 ,खसरा नं0 4147 रकबा 0.05 खसरा नं० 4269 रकबा 0.18 कुल किता 7 कुल रकबा 2.83 है0 मे राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज अनुसार 1/5 हिस्सा निहित है जो वाके ग्राम चंदलाई पटवार हल्का चन्दलाई तहसींल चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। वादी संख्या 01 के पति व वादी संख्या 2 ता 3 के पिता श्री पृथ्वी सिंह के फोत हो जाने उपरान्त उनके द्वारा छोडी गई पेतृक सम्पति का नामान्तकरण श्री पृथ्वी सिंह के विधिक वारिस बिन्टू कवर राठौड पत्नी स्व श्रीं पृथ्वीसिंह भरत सिंह पुत्र स्वं श्री पृथ्वीसिंह ना0बा0 शालिनी राजावत पुत्री स्वं श्री पृथ्वीसिंह नाएबा0 के नाम खोला गया। वादीगण के पक्ष मे नामान्तकरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा वांदीगण का बोलता नाम पिन्टू कँवर पत्नि स्व0 पृथ्वी सिंह भीम सिंह शालू कँवर पिता स्व श्रीं पृथ्वीसिंह राजस्व रिकोर्ड मे द्य दर्ज कर दिया जबकि वादीगण का नाम पिन्टू कँवर पत्नि स्व0 पृथ्वी सिंह भीम सिंह शालू कँवर पिता स्व श्रीं पृथ्वीसिंह की बजाय बिन्टू कँवर राठौड पत्नी स्वं श्री पृथ्वीसिंह भरत सिंह पुत्र स्वं श्री पृथ्वीसिंह ना0बा0 शालिनी रांजावत पुत्री स्व श्रीं पृथ्वीसिंह ना0बा० जरिये संरक्षक बिन्टू कवर राठौड राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था। राजस्व रिकोर्ड मे वांदीगण का नाम गलत दर्ज हो रखा है। वादीगण वांदग्रस्त आराजी में अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चले आ रहे है तथा अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे है। विवादित आराजी में वादीगण का बोलता नाम पिन्टू कवर पत्नि स्व0 पृथ्वी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सिंह भीम सिंह शालू कँवर पिता स्वं श्री पृथ्वीसिंह राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादीगण का वास्तविक नाम बिन्टू केवर राठौड पत्नी स्व श्री पृथ्वीसिंह भरत सिंह पुत्र स्वं पृथ्वीसिंह ना०बा0 जरिये संरक्षिका बिन्टू कवर राठौड पत्नी स्व श्रीं पृथ्वीसिंह शालिनी राजावत पुत्री स्व श्रीं पृथ्वीसिंह ना0बा0जरिये संरक्षिका बिन्टू केंवर राठौड पत्नी श्री स्वं पृथ्वीसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये वादीगण के समस्त दस्तावेजों जैसे वोटरलिस्ट , आधार कार्ड , पहचान पत्र , राशन कार्ड , शैक्षणिक प्रमाण पत्रो में वादीगण का वास्तविक नाम बिन्टू कवर राठौड पत्नी श्री पृथ्वीसिंह भरत सिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह शालिनी राजावत पुत्री श्री पृथ्वीसिंह अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत नाम पिन्टू कँवर पत्नि स्व0 पृथ्वी सिंह भीम सिंह शालू कँवर पिता स्व0 श्री पृथ्वीसिंह के स्थान पर वादीगण का वास्तविक नाम बिन्टू कँवर राठौड पत्नी श्री स्वं पृथ्वीसिंह भरत सिंह पुत्र श्री स्वं पृथ्वीसिंह शालिनी राजावत पुत्री श्री पृथ्वीसिंह दर्ज होना चाहिये। वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादीगण का नाम पिन्टु कँवर पत्नि स्व0 पृथ्वी सिंह भीम सिंह शालू कवर पिता स्वं श्री पृथ्वीसिंह राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बिन्टू कवर राठौड पत्नी स्वं श्री पृथ्वीसिंह भरत सिंह पुत्र स्वं श्री पृथ्वीसिंह ना0बा0 जरिये संरक्षिका बिन्टू कवर राठौड पत्नी स्वं श्री पृथ्वीसिंह शालिनी राजावत पुत्री स्वं श्री पृथ्वीसिंह ना0बा0 जरिये संरक्षिका बिन्टू कँवर राठौड पत्नी श्री स्वं पृथ्वीसिंह अंकित होना चाहिये। जिससे वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादग्रस्त आराजी में स्वयं का नाम पिन्टू कंवर पत्नि स्व0 पृथ्वी सिंह भीम सिंह शालू कँवर पिता स्वं श्री पृथ्वीसिंह की जगह बिन्टू कँवर राठौड पत्नी स्वं श्री पृथ्वीसिंह भरत सिंह पुत्र स्व श्रीं पृथ्वीसिंह ना0बा० जरिये संरक्षिका बिन्टू कँवर राठौड पत्नी स्व0 श्री पथ्वीसिंह शालिनी राजावत पुत्री स्व0 श्रीं पृथ्वीसिंह ना0बा0 जरिये संरक्षिका बिन्टू कंवर राठौड पत्नी स्व0 श्रीं पृथ्वीसिंह दुरस्त करावे।

वादीगण ने वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की नकले 4236 दिनांक 24.06.2019 को निकलवाई तथा के सी सी लेने हेतु बैंक में दिखाया तो बैंक वालो ने बताया कि दस्तावेजों व रिकॉर्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक वालो ने कहा कि पहले तुम नाम दुरसत कराओ तब लोन देंगे तब जाकर वादीगण को इसकी जानकारी हुई । वादी संख्या 2 व 3 के बालिग हो जाने के कारण वादीगण ने तहसील कार्यालय मे जाकर अपना नाम राजस्व रिकोर्ड मे पिन्टू कंवर पत्नि स्व0 पृथ्वी सिंह भीम सिंह शालू कँवर पिता स्वं श्री पृथ्वीसिंह की जगह बिन्टू कँवर राठौड पत्नी श्री पृथ्वीसिंह भरत सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिह शालिनी राजावत पुत्री श्री पृथ्वीसिंह करने के लिये कहा तो तहसीलदार चाकसू द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड मे दुरूस्त करने से मना कर दिया व कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ तभी तुम्हारा नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जायेगा। राजस्व रिकार्ड में वादीगण नाम दुरूस्त करने से तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों द्वारा इंकार किये जाने के कारण वादीगण का उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादी के लिये वादकारण दिनांक को जमाबंदी की नकल लेकर के0सी0सी0 लेने के लिये बैंक में आवेदन करने पर बैंक वालो ने कहा कि आपका नाम दस्तावेजो व जमाबंदी में अलग अलग दर्ज हो रखा है जिसको दुरूस्त करवाने के लिये कहने पर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है।

वादी का वाद अन्दर मियाद व निश्चित न्यायशुल्क पर पेश है। वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित संयुक्त पैतृक सम्पत्ति की भूमि खाता संख्या नया 487 पुराना 401 के खंसरा नम्बर 4140 रकबा 0.06 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 सम्पूर्ण व खाता सं0 नया 693 पुराना 618 खसरा नं0 2476 रकबा 2.28 , खसरा नं0 2477 रकबा 0.25 खसरा नं0 4138/6463 रकबा 0.01, खसरा नं0 4141 रकबा 0.05 खसरा 4146/6465 रकबा 0.01 ,खसरा नं0 4147 रकबा 0.05 खसरा नं० 4269 रकबा 0.18 कुल किता 7 कुल रकबा 2.83 है0 मे राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज अनुसार 1/5 हिस्सा निहित है। जो वाके ग्राम चंदलाई पटवार हल्का चन्दलाइ तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादीगण का नाम पिन्टू कंवर पत्नि स्व0 पृथ्वी सिंह भीम सिंह, शालू कंवर पिता स्व0 श्री पृथ्वी सिंह राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर रखा है के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बिन्टू कंवर राठौड पत्नि स्व0 श्री पृथ्वी सिंह, भरत सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीसिंह शालिनी पुत्री श्री पृथ्वी सिंह अंकर कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

राजस्व रिकार्ड के उक्त विवादित खसरा के खाता संख्या नया 487 पुराना 401 के खंसरा नम्बर 4140 रकबा 0. 06 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 सम्पूर्ण व खाता सं0 नया 693 पुराना 618 खसरा नं0 2476 रकबा 2.28 , खसरा नं0 2477 रकबा 0.25 खसरा नं0 4138/6463 रकबा 0.01, खसरा नं0 4141 रकबा 0.05 खसरा 4146/6465 रकबा 0.01 ,खसरा नं0 4147 रकबा 0.05 खसरा नं० 4269 रकबा 0.18 कुल किता 7 कुल रकबा 2.83 है0 मे राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज अनुसार 1/5 हिस्सा में नया अंकन बिन्टू कंवर राठौड पत्नी स्व0 श्री पृथ्वी सिंह, भरत सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीसिंह, शालिनी राजावत पुत्री स्व0 श्री पृथ्वीसिंह अंकित किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य कोई उचित आदेश जो वादीगण के हित में हो और माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित किये जावे। दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की जारी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार निम्नानुसार पेश किया गया कि मंद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम चंदलाई सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 503 व खाता संख्या 718 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। खाता संख्या 718 में खसरा नं0 2476 रकबा 2.28 है0, खसरा नं0० 2477 रकबा 0.25 है0 अब्दुल रहमान में विचाराधीन है। मंद संख्या 2 में पृथ्वीसिंह की विरासत पिन्टू कंवर प्रत्नि पृथ्वीसिंह, भीमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज की गई थी, जो वर्तमान में भी मुताबिक ना0 सं0 28 स्वीकृत दिनांक 27.08.98 के अनुसार पृथ्वीसिंह के वारिसान के नाम ही है। मद संख्या 3 से

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 का प्रथम भाग वादी स्वयं सिद्ध करें। शेष के कम में राजस्व जमाबंदी में पिन्टू कंवर पत्नि पृथ्वीसिंह , नाबालिक भीमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह सरंक्षक सरपरस्त पिन्टू कँवर पत्नि पृथ्वीसिंह व नाबालिक शालू कँवर पुत्री पृथ्वीसिंह सरंक्षक सरपरस्त पिन्टु कँवर पत्नि पृथ्वीसिंह दर्ज रिकार्ड है। मद संख्या 7 व 8 का प्रथम भाग वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करें। शेष कानूनी संख्या 9 से 11 कानूनी है। मंद संख्या 12(क) से 12(ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दौराने बहस दावे का समर्थन करते हुये मुताबिक दस्तावेज दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया। वादी ने दावे के समर्थन में पृथ्वीसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बिन्टू कंवर, भरत सिंह, शालिनी राजावत, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शालिनी भरतसिंह, जमाबंदी बतौर दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार व दावे के अनुसार दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाके ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू के खाता संख्या 487 के खसरा नम्बर 4140 रकबा 0.06 है0 व खाता संख्या 693 के खसरा नम्बर 2476, 2477, 4183/6463, 4141, 4146/6465, 4147, 4269 किता 7 रकबा 2.83 है0 खाता संख्या 486 के खसरा नम्बर 4142, 4143, 4146, 4236, 4237, 4239/6583, 5687 किता 7 रकबा 0.63 है0 व खाता संख्या 694 के खसरा नम्बर 4158 रकबा 0.62 है0 में अंकित नाम पिन्टू कंवर

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पत्नि पृथ्वीसिंह, भीमसिंह, शालूकवंर पिता पृथ्वीसिंह के स्थान पर बिन्टू कवंर राठौड पंत्नि पृथ्वी सिंह, भरतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, शालिनी पुत्री पृथ्वीसिंह शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जावे निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.05.22 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: